Title: Statement regarding government business during the week commencing the 13th August 2001 and submission by the Members.

12.02 hrs.

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 13 अगस्त, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगाः-

आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार;

भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् आदेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर

चर्चा और भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् विधेयक, 2001 पर विचार तथा पारित करना;

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना -

(क) ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000

(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2001

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः-

(क) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2001

(ख) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001

(ग) भारतीय रेल कम्पनी (निरसन) विधेयक, 2001

(घ) रेल कम्पनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) (निरसन) विधेयक, 2001

(ड.) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2001

(च) प्रसव पूर्व नैदानिक विधियां (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2001

(छ) भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001

(ज) गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001

(झ) निरसन और संशोधन विधेयक, 2001

(ट) पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2001

राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

रेल अभिसमय समिति (1999) द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में 'वर्ा 2001-2002 के लिये लाभांश की दर और अन्य आनुांगिक मामलों' पर की गई सिफारिशों की स्वीकृति चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

जे.सी.एम. योजना के अधीन अपेक्षित सम्योपरि भत्ते के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

1992 के सी.ए. संदर्भ संख्या 11 में आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के ग्रेड के वेतनमान में वृद्धि करने संबंधी माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट को अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

1991 के सी.ए. संदर्भ संख्या 2 में निजी सचिवों (सी.एस.एस.एस. में विलय किये गये ग्रेड 'क' और 'ख') को विशे वेतन प्रदान करने हेतु माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

(i) Need to discuss security cover of VVIPs and VIPs in the capital city of

Delhi.

(ii) Regarding steep fall in the price of coconut due to non-procurement by

NAFED.

SHRI M. CHINNASAMY (KARUR): Sir, the following item may be included in the next week's agenda:-

1. The Centre-State relations are not conducive now. Therefore, it is an

imperative need to have an elaborate discussion in this regard.

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए।

1. "आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा में एकरूपता, समानता तथा अन्यान्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ अधिक सुसंगत बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार ।"

2. केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण किन्तु प्रवेशाभाव के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रति रुचि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों की स्थापना व प्रवेशादि नियमों पर पुनर्विचार। धन्यवाद ।

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

(i) Non-payment of wages to workers in Durgapur Unit of H.S.C.L. for 25 months and shifting of Head Office from Kolkata to Bangalore and threat by the management to enforce the Voluntary Retirement, otherwise payment will not be made.

(ii) Revival of IISCO with immediate effect as per proposed revival plan by the officers' association and the Union.

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा भारत की साख स्थिति के बारे में जो मूल्यांकन किया गया है उससे भारत की छवि धूमिल हुई है। अत: इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित जनवरी 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक छ: करोड़ बाल मजदूर भारत में है। भारत में उपलब्ध बाल श्रम को रोकने के लिए उपलब्ध अधिनियमों और कानूनों में अधिकांश दोषी नियोजकों को दंडित कर पाना संभव नहीं हो पाता, अत: संबंधित अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता।
2. प्रधान मंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क योजना पूर्ण रूप से केन्द्र प्रवर्तित शत-प्रतिशत राशि प्रदत्त केन्द्रीय योजना है। अत: इसकी क्रियान्विति में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में सांसदों की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता, जिससे विधायकों की भांति सांसदों को भी अपने क्षेत्र में ग्राम सम्पर्क सड़क योजना में एक करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य कराये जाने का अधिकार प्राप्त हो।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (CHHAPRA): The following items may definitely be included in the next week's agenda:-

(1) To discuss the need to develop the sports infrastructure in the country with a special reference to the State of Bihar after division.

(ii) To discuss the issue of giving additional support to primary health centres located at block and village level and build up more centres for referral case and raise the standard of health care in the country.

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): The following items may be included in the next week's agenda:-

i. Formulation of Coastal Zone Policy, i.e. CRZ.
ii. Formulation of policy for shifting people affected by resettlement projects and settled in slums in Mumbai and other metro cities.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए।

1. छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न राज्य मार्ग बहुत खराब एवं गंदे रहने से आवागमन तथा बसें चलने में कठिनाई हो रही है। इन्हें राज्य सरकार नहीं बनवा रही है। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर से पोड़ी मंडला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर अविलम्ब स्वीकृत किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से मंडला जबलपुर नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन को भेजा जाए तथा इसे केन्द्र सरकार अविलम्ब स्वीकृत करें।